(5)

पदाधिकारी का आदेश

10-7-19	प्रथम पक्ष रामदेव राम पिता स्व0 निलकंड राम एवं द्वितिय पक्ष के सुदामा राम पिता– स्व0 रूपलाल राम साकिन– जमडीहा थाना बिरनी जिला–गिरिडीह के द्वारा राजस्व कागजात की मूल प्रति अवलोकन हेतु कार्यालय में या अंचलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में प्रस्तुत नहीं किया है। दोनो पक्षों के द्वारा राजस्व कागजात की अभिप्रमाणित प्रति भी कार्यालय में अप्राप्त है। उभय पक्षों के द्वारा ऑन लाईन लगान रसीद प्रस्तुत किया है । पंजी –II पृष्ट संख्या–82 थाना नम्बर– 131 खाता संख्या– 6 रकवा – 0.6 डी0 रैयती भूमि जो रूपलाल राम पिता– करमचंद राम के नाम जमांवदी कायम है। ऑन लाईन लगान रसीद वित्तीय वर्ष– 2019–20 तक का प्राप्त है जिसका नम्बर– 074326653 दिनॉक – 10.05.2019 को प्राप्त है। मैनूयल लगान रसीद संख्या–JB/41-5967903 दिनॉक– 24.11.2011 का रैयत रूपलाल राम के नाम पेज नम्बर– 76 भोलूम नम्बर– । से निर्गत है। राजस्व कर्मचारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन में भी साफ जिक है कि जॉच के दौरान विवादित भूमि से संबंधित राजस्व कागजात की मॉग उभय पक्षों से की गई किन्तु किसी भी पक्ष के द्वारा संबंधित भूमि का राजस्व कागजात नहीं उपलब्ध कराया गया जिससे विपक्षी पक्ष सुदामा राम वगैरह के द्वारा सिर्फ मात्र एक लगान रसीद उपलबध कराया गया है। राजस्व कर्मचारी –सह– उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–~~मनकडीहा~~ जमडीहा खाता संख्या–6 रकवा – 0.06डी0 रैयत रूपलाल राम के नाम से इन्द्राज है।

उभय पक्षों ने धरेलु पंचों के बीच वटवारानामा की छाया प्रति उपलब्ध करायी है। जिसमें दोनों पक्षों /ग्रामीणों /जन प्रतिनिधि वार्ड सदस्य ,पंचायत समिति सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त है जो दिनॉक - 06.01.2019 है।

धरेलू वटवारानामा की छाया कॉपी रामदेव राम के द्वारा INDIA NON JUDICIAL STAMP N. 02 II 434353 पर धरेलू वटवारा किया गया जिस पर वार्ड सदस्य / मुखिया / पंचायत समिति सदस्य एवं स्थानीय अमीन एवं पंचों की उपस्थिति में दोनो पक्षों ने अपना-अपना हस्ताक्षर स्टाम्प पेपर पर बना दिया । लेकिन फिर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद बना हुआ है ।

उभय पक्षों के द्वारा मूल कागजातों एवं सही साक्ष्य के अभाव में निर्णय देना राजस्व अधिनियमावली के विरूध्द है।

अतंतः पचों की राय एवं धरेलू वटवारा को अगर दोनो पक्ष स्वीकार नहीं करते है तो यह मामला सक्षम न्यायालय का बनता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

10/7/19

अंचल अधिकारी
बिरनी

10/7/19

अंचल अधिकारी
बिरनी।